(1)

पत्रांक–भवन / मु0अभि0(पटना)यो0 विविध 8–62 / 2016 5803(अ)/अनु दिनांक 29.6.17

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा (भा0प्र0से0)
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, (विद्युत सहित)
सभी अधीक्षण अभियंता, (विद्युत सहित)
सभी कार्यपालक अभियंता, (विद्युत सहित)
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– भवन निर्माण विभाग में विभिन्न योजनाओं की कम्पोजिट निविदा (अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित मदों) के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में भवन निर्माण विभाग में विभिन्न योजनाओं की कम्पोजिट निविदा (अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित मदों) के संबंध में निम्नवत् कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

1. गैर अनुसूचित मदो (Non scheduled items) की सामग्रियों का नियमानुसार कोटेशन के आधार पर औपबंधिक दर निर्धारित करते हुए इसी के आधार पर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा विस्तृत औपबंधिक दर विश्लेषण तैयार किया जायेगा। उक्त के आधार पर अधीक्षण अभियंता ऐसे गैर अनुसूचित मदों का औपबंधिक दर निर्धारित करेगें। इसी दर के आधार पर किसी परियोजना हेतु गैर योजना मदों के दर सहित विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा एवं तकनीकी अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

2. गैर अनुसूचित मदो के लिए निर्धारित औपबंधिक दर अधीक्षण अभियंता द्वारा विभागीय अभियंता प्रमुख के माध्यम से अनुसूचित दर निर्धारण समिति को भेजेंगे। विभागीय अभियंता प्रमुख द्वारा यह परामर्श दिया जायेगा कि उक्त Item को स्थायी रुप से Schedule Item में शामिल किया जाय अथवा नहीं। जब तक Schedule Rate Committee द्वारा प्रस्तावित दर अनुमोदित नहीं होता है तब तक अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रस्तावित दर पर कार्य कराया जा सकेगा।

3. उक्त कंडिका–1 के अनुसार अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित मदों का एकीकृत परिमाण विपत्र तैयार कर कुल प्राक्कलित राशि को निविदा की राशि मानते हुए प्रतिशत आधार पर निविदा आमंत्रित की जायेगी एवं निविदा का निष्पादन पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–2046(S) दिनांक 06.03.2014 (संलग्न) की कंडिका–4 के अनुसार की जायेगी।

उपर्युक्त विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

28.6.17
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 5803(अ) पटना, दिनांक– 29.6.17

प्रतिलिपि— माननीय उपमुख्य (भवन) मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अपर सचिव / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव / निदेशक अनुश्रवण एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक–प्र०–6 / द०वि०–नियम–03–08 / 2008 (अंश)– 2046 (S) /पटना, दिनांक 6-3-14

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव
जल संसाधन विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / भवन निर्माण विभाग / योजना एवं विकास विभाग / लघु एवं सिंचाई विभाग / नगर विकास विभाग

विषय :– निविदित दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार का पत्रांक–1 / स्था०–10 / 2013–363 दिनांक–11.04.2013 द्वारा मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक–462 दिनांक–30.03.1982 के त०प०को० भाग–1 / कंडिका–14 एवं पत्रांक–2347 दिनांक–31.12.1983 की कंडिका–6 (ग) को विलोपित किया गया तथा निविदित दर की अधिसीमा निर्धारित करने हेतु पथ निर्माण विभाग को अग्रेतर कार्रवाई किया जाना था।

2. उक्त परिपेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–9049 (एस) अनु० दिनांक–26.11.2013 द्वारा *SBD* आधारित कार्यों के लिए प्रतिशत दर निविदा (*percentage rate tender*) पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम रहने पर निविदा का निष्पादन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति से अनुमोदन (Concurrence) प्राप्त कर निविदा निष्पादन का निर्णय लिया गया था।

3. परिमाण विपत्र की राशि से निविदित दर 10 प्रतिशत के कम रहने पर निविदाओं के निष्पादन में उत्पन्न हो रही कठिनाईयाँ एवं निविदा की प्रक्रिया सभी कार्य विभागों में समरूप रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनः समीक्षा की गई।

4. समीक्षोपरांत प्रतिशत दर (inpercentage rate tender) पद्धिति में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित की जाती है। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाले निविदाएं अमान्य मानी जायेगी।

4.1 उक्त प्रावधान सभी कार्य विभागों में समान रूप से लागू माना जायेगा।

5. विभागीय पत्रांक–9049 (एस) दिनांक–26.11.2013 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)

9)
(102)

ज्ञापांक–प्र०–6/द०वि०–नियम–03–08/2006 (अंश)– 2046 (S) /पटना, दिनांक 6-3-14

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक–प्र०–6/द०वि०–नियम–03–08/2006 (अंश)– 2046 (S) /पटना, दिनांक 6-3-14

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (सभी उपभाग) पथ निर्माण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक–प्र०–6/द०वि०–नियम–03–08/2006 (अंश)– 2046 (S) /पटना, दिनांक 6-3-14

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को Soft copy की प्रति के साथ विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक 4919 (भ) पटना, दिनांक 9/5/14

प्रतिलिपि: सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/14
अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।